मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 240/2024

इन्द्रकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। ––वादी

–:बनाम:–

1. रामस्वरूप पुत्र सिमरथाराम जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. विनोद कुमार | पिसरान रामस्वरूप जाति बिश्नोई
3. रामकुमार | साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा
4. रिच्छपाल | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. सन्तोष पुत्री रामस्वरूप पत्नी ताराचन्द जाति बिश्नोई साकिन माणकसर तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा। ––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 23-12-2024

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एल.के.एस के खाता सं. 97/80 के प. नं. 2/279 (56) किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10/1, 10/2, 12 ता 15/1, 15/2 व पं.नं. 3/279 (57) के किला नं. 1 ता 25 व पं.नं. 3/280 (59) के किला नं. 1 व पं.नं. 4/279 (58) के किला नं. 1 ता 21 की कुल 13.979 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड गै.मु. खाला रास्ता मय खातेदारी को वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:45 IST
Reason: Self Attested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेश किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजी राज न होनें तथा किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested